भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5684

बुधवार, 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा

5684. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की उन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के निर्माण और पंजाब में एक औद्योगिक क्लस्टर के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु गबन किए गए धन का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि की वसूली के लिए और एक वहिसील ब्लोअर द्वारा उजागर किए गए गबन की गंभीरता और मात्रा का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई की है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय ढ़ांचे के अनुसार, राज्य सरकार को अपनी इक्विटी के रूप में भूमि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जबकि भारत सरकार का योगदान निधि के रूप में होता है, जिसे मुख्य अवसंरचना नामत: सड़कें, भूमिगत जन-उपयोगिताओं, ऊर्जा वितरण नेटवर्क, सीवरेज शोधन सयंत्र (एसटीपी), सामान्य बहिस्राव शोधन योजना (सीईटीपी) आदि के विकास के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा वहन की जाती है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी संबधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) से (घ): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****